न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–प्रथम, अम्बेडकरनगर।

स०प्र० संख्या–134/ 2019

नैयर रजा आदि बनाम प्रवीन आदि।

दि०–08.12.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थीपक्ष उपस्थित। प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रा०पत्र 13 क एवं 15 क प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण अभी तक उपस्थित नहीं आये हैं। प्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त प्रा०पत्रों के निस्तारण पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रा०पत्र 15 क–

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रा०पत्र 15 क मय शपथपत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं० 12 राबिया खातून की मृत्यु के पश्चात कायम मुकामी की दरख्वास्त दी गयी परंतु उसमें गलती से विपक्षी सं०–12 के बजाय विपक्षी सं०–15 राजिया खातून को मृतक दिखा दिया गया जबकि कायम मुकामी प्रा०पत्र में दर्शित कायम मुकामान विपक्षी सं०–12 राबिया खातून के ही हैं। अतः कायम मुकामी प्रा०पत्र में अपेक्षित संशोधन अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संशोधन प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि जिन तथ्यों के सम्बंध में संशोधन प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथमदृष्टया लिपिकीय त्रुटि दर्शित होता है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नवीन केस बनना दर्शित होता है। उक्त प्रस्तावित संशोधन से विपक्षीगण के हित भी प्रतिकूल प्रभावित होना दर्शित नहीं होता है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में संशोधन प्रा०पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

संशोधन प्रा०पत्र का०सं० 15 क स्वीकार किया जाता है। संशोधन अविलम्ब हो।

दिनांकः 08.12.2021

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP01561)

निस्तारण प्रा०पत्र 13 क–

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रा०पत्र 13 क मय शपथपत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दि० 04.10.21 को कायम मुकामी प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें गलती से विपक्षी सं०–12 राविया खातून के स्थान पर विपक्षी सं०–15 राजिया खातून लिख दिया गया। वही गलती मियाद प्रा०पत्र में भी हो गयी है। अतः मियाद प्रा०पत्र में अपेक्षित संशोधन अनुमति प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संशोधन प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि जिन तथ्यों के सम्बंध में संशोधन प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है वह प्रथमदृष्टया लिपिकीय त्रुटि दर्शित होता है। कायम मुकामी प्रा०पत्र में संशोधन अनुमति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में संशोधन प्रा०पत्र

स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

संशोधन प्रा०पत्र का०सं०–13 क स्वीकार किया जाता है। संशोधन अविलम्ब हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रा०पत्र 9 क एवं 11 ग दिनांक 06.01.2022 को पेश हो।

दिनांकः 08.12.2021

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिला न्यायाधीश,
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे०ओ० कोड–(UP01561)

Digitally signed by Abhishek Kumar Srivastav
Date: 2021.12.09 11:08:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court